

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा
वित्त भवन, "ए" ब्लॉक, जनपथ, जयपुर - 302005
(दूरभाष 0141-2740735, फैक्स 0141-2742309, ई मेल aao2.dta@rajasthan.gov.in)

क्रमांक :- प3 (क)/अलेसे ॥ लिंक न. 2363 / 2244 / 2262
कार्यालय आदेश

दिनांक :- 29/10/2018
30

श्री /श्रीमती / सुश्री महावीर प्रसाद जांगिड [लिंक नं. 2363] सहायक लेखाधिकारी ग्रेड - द्वितीय कार्यालय जिला कलक्टर, राजस्व विभाग, अजमेर - [23711] जिनकी जन्म तिथि 01/12/1963 है, ने आवेदन पत्र प्रस्तुत कर दिनांक 05/11/2018 से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति हेतु अनुरोध किया है।

राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1996, के नियम 50 (1) के अन्तर्गत इन्हें दिनांक 05/11/2018 से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति स्वीकृत की जाती है।

श्री महावीर प्रसाद जांगिड की राजकीय सेवा में प्रथम नियुक्ति तिथि 21/06/1993 है।

वित्त (नियम) विभाग द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक प. 12(6) वित्त/नियम/2008 दिनांक 24.03.2015 के क्रम में यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री महावीर प्रसाद जांगिड के विरुद्ध आज तक :-

1. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम-16 के अंतर्गत कोई विभागीय जांच विचाराधीन/ लम्बित नहीं है।
2. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 19 के अंतर्गत कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/ लम्बित नहीं है।
3. कोई न्यायिक कार्यवाहियां विचाराधीन/ लम्बित नहीं हैं।

(मंजुला वर्मा)
निदेशक

क्रमांक :- प3 (क)/अलेसे ॥ लिंक न. 2363 / 2244 / 2262

दिनांक :- 29/10/2018
30

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग राजस्थान जयपुर
2. संयुक्त निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग अजमेर
3. जिला कलक्टर, राजस्व विभाग, अजमेर
4. कोषाधिकारी अजमेर
5. श्री /श्रीमती / सुश्री महावीर प्रसाद जांगिड [2363] सहायक लेखाधिकारी ग्रेड - द्वितीय कार्यालय जिला कलक्टर, राजस्व विभाग, अजमेर
6. अतिरिक्त निजी सचिव, निदेशक
7. उपनिदेशक (एसीपी) को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
8. रक्षित पत्रावली / पदस्थापन सीट / वरिष्ठता सीट

(अरविन्द दीवान)
(अतिरिक्त निदेशक (कर्मिक II))